



सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/2012-13/OG-GO/

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR at 127% from 01.04.2012 to Chattisgarh pensioners.

Ref:- 1. Govt. of Chattisgarh Finance Department No. 317/F-1002200/Fin/
Rule/IV /2012 dt 06.10.2012
2. Accountant General (A&E) Chattisgarh SSA NO PA/2617
dt. 30.11.2012

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Chattisgarh in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To

Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

Q/A Seal
892492654
2/11
No.PA/2617

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),

CHHATTISGARH, RAIPUR

Date : 30.11.12

To

The DAG (Pension)
O/o The Accountant General (A&E)
Saitabai, Andhra Pradesh,
Hyderabad - 500463

*24/2704
19/12/12*
Sub: Grant of Dearness Relief @12% with effect from
01.04.2012 in favour of the state Govt. Pensioner/Family
Pensioners in the pre- revised scales of pay. (Enhanced from
115% to 127%)

Sir,

I am forwarded herewith the copy of Government of Chhattisgarh, Finance Department, Memo No.317/F-1002200/Fin./Rule/IV/2012 dated 06.10.2012 on the subject cited above under Special Seal Authority for your kind information. This instruction may please be communicated to all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged. Additional copies, if required may please be downloaded from the web site www.cgfinance.nic.in.

Encl. : As above.

Yours faithfully,

SC Alankar
Accounts Officer/PA

वित्त निर्देश 65/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 317/एफ-1002200/वित्त/नियम/चार/2012, रायपुर दिनांक 06 अक्टूबर, 2012.
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय :- छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत प्रत्याशित पेंशन/
पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को मंहगाई राहत ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 407/293/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 द्वारा दिनांक 01.10.2011 से 115 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के ऐसे पेंशनर/परिवार पेंशनरों को जो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अनुसार प्रत्याशित पेंशन/पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के लिए निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये -

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.04.2012 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 127 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation) सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां

पेशन/परिवार पेशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 20-7-2009 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3/ ऐसे पेशनर्स जिन्होंने अपनी पेशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेशन) पर देय होगी।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) १०/२०१२

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANACE DEPARTMENT
DAU KALAYAN SINGH BHAVAN
MANTRALAYA, RAIPUR

No. 317/F-1002200/Fin./Rule/IV /2012 Raipur, Dated 06 October, 2012

To,

All Department of Government

The President of Board of Revenue, Bilaspur

All Commissioners of Divisions

All Heads of Department

All Collectors

Chhattisgarh.

**Sub -Grant of Dearness Relief to State Government Pensioners Who
are in receipt of provisional pension or pension in the
Chhattisgarh Revision of pay rules 1998.**

The State Government had sanctioned 115 % dearness relief w.e.f. 01-10-2011 to their pensioners who are in receipt of pension in the Chhattisgarh Revision of Pay Rules 1998 vide Finance Department Memo No. 407/293/Fin/Rule/IV/2011, dated 13-12-2011.

The State Government has now decided that the dearness relief to the pensioners Who are in receipt of provisional pension/ pension in the Chhattisgarh Revision of Pay Rules 1998 should be sanctioned as given below.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-04-2012	127% of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on

compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 24/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.


3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh



6/10/2012
(S. K. Chakraborty)

Deputy Secretary

Government of Chhattisgarh

Finance Department

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर। .२५
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर। .०८
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय। .१६
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ०ग०) पिन कोड-४९५२२०। .५८
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर। .४६
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन। .२६
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। .०६
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ। .५६
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर। .४६
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर। .१५
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ रायपुर। .०४
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ०ग०, रायपुर। .१४
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। .११
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर। .१४
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर। .०५
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छ.ग। .१५
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़। .१५
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़। .४५
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़। .०२
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़। .००११
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर्मेंट एण्ड बैंक एकाउण्ट डिपार्टमेंट, सी-७ बान्द्रा, कुला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई। .५२
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़। .१५
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर। .१५०२१६
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद। .१५
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग ७९३००१। .१५
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना ८००००१। .१५

27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वी मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रग्रन्थालय हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंधालय, मिजोरम, अस्साचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.

58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001.
71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
72. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
73. महालेखागार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली
75. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली।
76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली।
77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचेव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग